रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 627] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 30, 1990/कार्तिक 8, 1912
No. 627] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 30, 1990/KARTIKA 8, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1990

का.आ. 821(अ)—भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति यह अन्वेषण करने की दृष्टि से गठित की थी कि क्या भारत में कतिपय कीट-नाशियों के निरंतर उपयोग से मनुष्यों या जीवजन्तुओं को ऐसी जोखिम होने वाली है, जिससे तुरन्त कार्रवाई करना समीचीन या आवश्यक है;

और उक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् तथा कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि बी.एच. सी. के उपयोग से मनुष्यों, जीवजन्तुओं और पर्यावरण के लिए स्वास्थ्य परिसंकट होने वाला है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश पारित करती है :—

वनस्पति, फलों, तिलहनों, फसलों और खाद्यान्नों के परिरक्षण में बी एच सी के उपयोग पर पाबन्दी लगाई जाती है।

[सं. 17-91/86/पीपी-I)]
ए.के. मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 1990

S.O. 824 (E).—Whereas the Government of India had set up an Expert Committee with a view to investigate as to whether the continued use of certain insecticides in India will involve such risk to human beings or animals as to render it expedient or necessary to take immediate action.

And whereas the Central Government after considering the recommendation of the said Expert Committee and after consultation with the Registration Committee set up under the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is satisfied that the use of BHC involve health hazards to human beings, animals and environment.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby passes the following orders :—

The use of BHC on vegetables, fruits, oilseeds, crops and preservation of foodgrains is hereby banned.

[No. 17-91/86-PPI]
A. K. MISHRA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1990